

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय को पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-06-08.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 302]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 जून 2008—ज्येष्ठ 30, शक 1930

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 जून 2008

क्र. एफ. 2-01-08-एक-13.—राज्य सरकार, एतद्वारा, भारत में घोषित आपातकाल दिनांक 25 जून 1975 से मार्च, 1977 की कालावधि के दौरान मध्यप्रदेश के राजनैतिक या सामाजिक कारणों से मीसा/डी.आई.आर. के अधीन निरूद्ध व्यक्तियों को सहायता देने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

नियम

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लोकनायक जयप्रकाशनारायण (मीसा/डी.आई.आर. राजनैतिक या सामाजिक कारणों से निरूद्ध व्यक्ति) सम्मान निधि नियम, 2008 है.
- (2) यह नियम "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होंगे.
2. इन नियमों में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
 - (क) "मीसा" से अभिप्रेत है आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम, 1971 (1971 का 26) (निरसित);
 - (ख) "डी.आई.आर." से अभिप्रेत है भारत रक्षा नियम, 1971 (डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स, 1971) (निरसित);
 - (ग) "मीसा/डी.आई.आर. राजनैतिक या सामाजिक कारणों से निरूद्ध व्यक्ति" से अभिप्रेत है भारत में घोषित आपातकाल दिनांक 25 जून 1975 से मार्च, 1977 की कालावधि के दौरान राजनैतिक या सामाजिक कारणों से मीसा/डी.आई.आर. के अधीन निरूद्ध किये गये व्यक्ति;
 - (घ) "निरूद्ध" से अभिप्रेत है आपातकाल की कालावधि में मीसा/डी.आई.आर. में खण्ड (ग) के अधीन निरूद्ध किया गया हो.

